


12.10.22 पत्रावली पेश। वाणी अधिवक्ता  
उपस्थित। पत्रावली प्रतीउत्तर  
वाक्ये महसू आगन्तु दिनांक 23.11.22  
को पेश है।



23<sup>11</sup>/<sub>22</sub>

पत्रावली पेश। वाणी अधिवक्ता उप  
वाणी अधिवक्ता व पत्रेकार सरकार  
की वकालत सुनी गरी। वाड पत्र म सज्ज  
उम्तावेजा का भाषोपांत सहचयन  
अवलोकन क्रिया तया 1 उपयुक्त  
विषेश के आधार पर रेकड इस्तफती  
क्रिया जना न्याय संगत प्रतीत होता  
है। अतः यह वाद अन्तर्गत धारा  
88 राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955  
पंच प्राथमिक अन्तर्गत धारा 136  
राजस्थान अ. राजस्व अधिनियम 1956  
प्राधान्य होने से स्वीकार किया जाता  
है। जिसका विस्तृत पृथकसे लिखा  
जाकर तहसीलदार रेकडर को तहरीर  
जाती है।

पत्रावली प्रेषण शुभारंभ होकर  
इतिमध्य से काम की जाकर आविष  
इंतर्गत है।

  
सहायक कलेक्टर  
(S. D. O.) रेंवदा

Prasad

1159

23/11/22

12